न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 13/2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तलकाराम पुत्र रगाराम जी, जाति–मेगवाल, निवासी– मलावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. कान्तादेवी पत्नी तलकाराम जी, जाति– मेगवाल, निवासी– मलावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हुनर सिंह देवड़ा, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 16 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 247/1 रकबा 3–02 बीघा किस्म खद्दर भूमि का अप्रार्थीगण को आवंटन कमेटी की अनुशंषा पर वर्ष 2002 में कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि रकबा 3–02 बीघा का मौके पर आवंटिती/अप्रार्थीगण को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 06–7–2002 से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हुनर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया।

(3) विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 247/1 रकबा 3–02 बीघा किस्म खद्दर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटिती/अप्रार्थीगण को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नही है। अप्रार्थीगण/आवंटिती ने आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थीगण/आवंटिती को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण को ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 247/1 रकबा 3–02 बीघा किस्म खद्दर भूमि का आवंटन वर्ष 2002 में आवंटन कमेटी की सिफारिश पर शिविर प्रभारी अधिकारी, भूमि आवंटन व नियमन कमेटी, तहसील रेवदर के आदेश क्रमांक 914–17 दिनांक 10–6–2002 के द्वारा किया गया था तथा मौके पर कब्जा सुपर्द किया गया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 421 वर्ष 2002 में स्वीकृत हुआ। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर ने आवंटन के 23 वर्ष बाद अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि अप्राथीगण का उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण ने काफी रकम खर्च कर भूमि को उपजाउ बनाया है। पटवारी हल्का, धाण ने मौके पर आये बिना ही गलत मौका रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि मौके पर भूरा पुत्र चमनाराम माली का कभी भी कब्जा–काश्त नही रहा है व मौके पर आज भी अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन हुये 23 वर्ष से अधिक समय हो गया है जिससे कूननन, अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि के स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण ने खातेदारी दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निवेदन करने पर अप्रार्थीगण को जानबूझकर खातेदारी हक प्रदान नही किये गये है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार देने हेतु तहसीलदार, रेवदर को आदेशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 247/1 रकबा 3–02 बीघा किस्म खद्दर भूमि का अप्रार्थीगण को शिविर प्रभारी अधिकारी, भूमि आवंटन एवं नियमन कमेटी, तहसील– रेवदर के आदेश क्रमांकः 914–17 दिनांक 10–6–2002 के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थीगण/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 06–7–2002 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है।" प्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि "अप्रार्थीगण/आवंटिती ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है।"

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अनुसार अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त नही रहा है। अप्रार्थीगण ने भी जबाव में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त रहा हो। अप्रार्थीगण ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि वर्तमान में भी उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त हो। जबकि तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत पटवारी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हल्का, धाण की मौका रिपोर्ट दिनांक 08—12—2022 तथा पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी की नकलों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 247/1 रकबा 3—02 बीघा किस्म खद्दर भूमि का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही